



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272666  
CG-DL-E-18052026-272666

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2026/वैशाख 28, 1948

No. 336]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2026/VAISAKHA 28, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2026

सा.का.नि. 371(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 5 मई 2026 के आदेश (सिविल अपील संख्या 6174, 2023) में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्वयं में निहित शक्तियों को, देश भर के सभी जिला कलेक्टरों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यायोजित करती है, यह प्रत्यायोजन विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026' के पर्यवेक्षण, प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए, यह प्रत्यायोजन इस शर्त के अधीन है कि केंद्रीय सरकार पूरे देश के जिला कलेक्टरों के संबंध में शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहत कर सकती है, अथवा स्वयं अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों का आलंब ले सकती है; यदि केंद्रीय सरकार की राय में, जनहित में ऐसी कार्रवाई करना आवश्यक हो।

[फा. सं. 11/11/2026-एचएसएम]

उदय चौधरी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2026

**G.S.R. 371(E).**— In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court of India in Order dated the 5<sup>th</sup> May, 2026, in Civil Appeal No. 6174 of 2023, the Central Government hereby delegates the powers vested in it under section 5 of the Act to all the District Collectors across the country for a period of one year from the date of publication of this notification, exclusively for supervising, administering and implementing Solid Waste Management Rules, 2026, within their jurisdictional limits, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers in respect of District Collectors across the country or may itself invoke the provisions of section 5 of the Act, if in the opinion of the Central Government such course of action is necessary in public interest.

[F. No. 11/11/2026-HSM]

UDAY CHAUDHARI, Jt. Secy.